

कार्यालय, अंचल अधिकारी, अड़की खूँटी।

आदेश फलक

जिला:- वाद सं०:- 468 T.R
16-17 / 2020-21 सन्

विषय:- भूमि बन्दोवस्ती नियमितिकरण करने के संबंध में।

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

20/08/2020

जमाबंदीदार श्री/ श्रीमती. सुरखलाल मुष्ठा पिता/पति. मेदनी मुष्ठा

मौजा वारंगल थाना-अड़की, जिला खूँटी के नाम से पंजी -II पृष्ठ संख्या- 28/II

में दर्ज है। उक्त भूमि बन्दोवस्ती वाद सं०- 101 / 64-65 के आधार पर दर्ज है।

जमाबंदीदार सुयोग्य श्रेणी के 81 मुष्ठा के सदस्य है एवं भूमिहीन है। कायम जमाबंदी संदिग्ध है।

भूमि की विवरणी:-

मौजा	थाना नं०	खाता नं०	प्लॉट सं०	रकबा
<u>वारंगल</u>	<u>282</u>	<u>142</u>	<u>1557</u> <u>1558</u>	<u>1.60 (अकर)</u>

सरकार के सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार का पत्रांक-06/भूमि का नियमितीकरण-89/2020-1704/रा० दिनांक:- 15.07.2020 में यथाविहित प्रावधानानुसार संबंधित राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक से जाँच प्रतिवेदन की मांग करें, पुनः अभिलेख दिनांक:- 26/08/2020 को उपस्थापित करें।

अंचल अधिकारी
अड़की।

26/08/2020

अभिलेख उपस्थापित किया गया।/संबंधित राजस्व उप निरीक्षक का स्थल जाँच/ भौतिक सत्यापन/ दखल-कब्जा संबंधी प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त हुआ है तथा सरकार के सचिव, राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार का पत्रांक:-06/ भूमि नियमितिकरण- 89/2020-1704/रा० दिनांक:- 15.07.2020 में यथाविहित प्रावधानानुसार भूमि के नियमितिकरण हेतु अनुशंसा किये है।

अतः संबंधित राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के स्थल जाँच/भौतिक सत्यापनोपरान्त/दखल-कब्जा एवं अनुशंसा के आधार पर जमाबंदीदार श्री/श्रीमती सुशिला देवी पिता/पति कौरव देवी मौजा-मारेगा थाना-अड़की, जिला-खूँटी के नाम से मौजा-मारेगा थाना नं० 262 खाता सं० 142 प्लॉट सं० 1557, 1558 रकबा-1.60 लगान 2.10 रुपये अलावे शेष पर भूमि बन्दोबस्ती को नियमितिकरण की स्वीकृति दी जाती हैं

तदनुसार संबंधित राजस्व उप निरीक्षक को निदेश दिया जाता है कि पंजी-II में तदनुरूप ऑनलाईन प्रविष्टि करेंगे।

अंचल अधिकारी,
अड़की।

अभिलेख उपस्थापित किया गया। संबंधित राजस्व उप निरीक्षक द्वारा मौजा-मारेगा थाना नं० 262 के पंजी- II भौलुम (VOL-II) के पृष्ठ संख्या-28 पर ऑनलाईन प्रविष्टि कर आवश्यक सुधार कर लिया गया है।

अतः अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती हैं
अभिलेख अभिलेखागार में जमा करें।

अंचल अधिकारी,
अड़की।